## SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998 IN THE COURT OF A.K. Gudia, JMFC Gobad Dist Bland (M.P.)

", THE COURT OF A.K. Gupta, JMFC Gohad Dist Bland (M.P.)
Case No2.3.1.1/7 Complaint or report madeon
Name and address of the Complainant.
terressessessessessessessessessessessesse
***************************************
21611901197 10180
***************************************
37733 1118
Name, parentage, caste and address of accused
Trame, parentage, caste and address of accused  Transfer 27 99
3) Total S10 21416mi 20 018
3) जीति 510 वनील वानसे 810 जीहरू
The offence, complainant of, and date of, its alleged commission
आप पर आरोप है कि दिनांक /-/०-/- को करीब /हैं। इसे मुकाम
सार्वजनिक स्थान तथा दारा है। पर ताश के पत्तों
से रूपये पैसे की हार जीत का दांव लगाकर जुआ खेलते हुए पाए गए।
ऐसा करके आपने सार्वजनिक द्यूत अधिनियम 1867 की धारा 13 के अधीन दण्डनीय
अपराध कारित किया।
क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो।
, Light of the state of the sta
The plea of the accused and his examination (if any)
अपराध स्थीकार है। न्यून दण्ड से दण्डित करने का निवेदि है।
अध्या भीतन भें
- BRENE - 1955 - 1955 - 1955 - 1955 - 1955 - 1955 - 1955 - 1955 - 1955 - 1955 - 1955 - 1955 - 1955 - 1955 - 19

The offence proved. If any and in case under clasue(d) clasuse(f) clause(g) of sub section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

## //निर्णय// (आज दिनांक ५...१.१...) को घोषित)

आरोपी/गण को स्वेच्छिक संस्वीकृति के आधार पर उसे सार्वजनिक घुत अधिनियम 1867 की धारा 13 के तहत स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार पर दण्डनीय अपराध का दोषी पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया। आरोपीगण के विरुद्ध अमिलेख पर कोई पूर्व दोषसिद्धि अमिलिखित नहीं है। अतः आरोपी की संस्वीकृति एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये आरोप्री / गण को सार्वजनिक धुत अधिनियम 1867 की धारा 13 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए अर्थदण्ड 100/100 रूपये (प्रत्येक अमियुक्त के लिये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राषि के संदाय के व्यतिकम की दषा में अमियुक्त/गण को ..... दिवस का साधारण कारावास मुगताया जावे।

अमियुक्तगण से जप्तषुदा राशि ....र्.०.८०..... अपील अवधि पश्चात् राजसात् 03. की जाये तथा जप्तसुदा मूल्यहीन सम्पत्ति ताश \_\_\_\_\_पत्तों को नष्ट कर व्ययनित की जाये। सुपुर्दगी पर दी गयी संपत्ति के संबंध में सुपुर्दगीनामा सुपुर्दगीदार के पक्ष में निरस्त समझा जावे। अपील की दशा में मान० अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो। जब्तशुदा अन्य संपत्ति ..... अपराध से संबंधित एवं

उसकी विषय वस्तु न होने से जिस व्यक्ति से जब्त की गयी उसे लौटाई जावे।

मेरे निर्देशन पर टंकित

Indicial Magistrate Pirst Class Gohad dish Blind (M.P.)